न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी - सुश्री प्रियंका तलानिया आर.ए.एस.

अनवान -

1. दीनदयाल पुत्र श्री भोगराम जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं. 2, रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

........प्रार्थी.........

बनाम-

1. प्रवीन कुमार पुत्र श्री राधेकृष्ण जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं.20, रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
2. जगदम्बा देवी पत्नी राधेकृष्ण जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं.20, रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
3. कित्ती देवी पुत्री राधेकृष्ण जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं.2, रायसिंहनगर हाल लुहारी चौक के पास, दीप अल्ट्रासाउण्ड के नजदीक, चरखी दादरी जिला भिवानी (हरियाणा)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर।

......अप्रार्थीगण......

उपस्थिति :- 1. श्री राजीव जग्गा वकील प्रार्थी
2. श्री सिमतर सिंह गिल वकील अप्रार्थीगण
3. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर।

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रकरण संख्या - 43/2019 **निर्णय दिनांक - 07/11/2019**

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

यह कि प्रार्थी ने अनवानी प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मैं/हम आपके उपखण्ड श्री विजयनगर में भूमि धारण कर रहे है तथा खातेदार अभिधारी है। और मेरी/हमारी जोत वाके चक 1 एन.जेड.एम.(बी) तहसील श्री विजयनगर का मु. नं. 11 प.नं. 201/366 के किला नं. 4, 5 सालम-सालम कुल 2-00 बीघा नहरी खातेदारी भूमि में पहुंचने के प्रयोजन के लिए अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की कृषि भूमि वाके चक 1 एन.जेड.एम.(बी) तहसील श्रीविजयनगर का खाता संख्या 16 में दर्ज मु. नं. 11 प.नं. 201/366 के किला नं. 6, 15, 16, 25 प्रत्येक में 1-1 बिस्वा (पूर्वी पासा) भूमि में रास्ता खालने/स्वीकृत करने का आश्य रखता हूँ/रखते है। इसलिए मैं/हम राज0 अभिकृति अधिनियम 1955 का अधिनियम संख्या 3 की धारा 251 क उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन करता/करते हूँ/है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थी की जोत कृषि भूमि वाके चक 1 एन.जेड.एम.(बी) तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 11 प.नं. 201/366 के किला नं. 4, 5 सालम-सालम कुल 2-00 बीघा नहरी खातेदारी भूमि को काश्त करने व फसल लाने व ले जाने के प्रयोजन के लिए अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की कृषि

लगातार..........2

Priyanka 07/11/19
प्रियंका तलानिया (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

भूमि वाके चक 1 एन.जेड.एम.(बी) तहसील श्रीविजयनगर का मु.नं. 11 प.नं. 201/366 के किला नं. 6, 15, 16, 25 प्रत्येक में 1-1 बिस्वा (पूर्वी पासा) भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने अपना जवाब प्रस्तुत कर रास्ता स्वीकृत करने में कोई एतराज जाहिर नहीं किया तथा रास्ते में आयी भूमि के बदले में अपनी भूमि के चिपती भूमि की मांग की। अप्रार्थी पैरोकार राज ने रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता प्रार्थी की भूमि के निकटतम है क्योकि प.नं. 200/366 के रकबे पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर का स्थगन है। प्रार्थी के रकबा को वर्तमान में कोई अन्य रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी को भूमि जोतने के लिए रास्ता अति आवश्यक है। उक्त वांछित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं सुगम रास्ता नहीं दिया जा सकता है। रास्ता दिया जाना उचित है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी के रकबा के लिए कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता प्रार्थी के रकबा के निकटतम रास्ता है। अतः प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता को रास्ता आम के रूप में स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण ,के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट. स्वीकार किया जाकर चक 1 एन.जेड.एम.(बी) तहसील श्रीविजयनगर का मु.नं. 11 प.नं. 201/366 के किला नं. 6, 15, 16, 25 प्रत्येक में 1-1 बिस्वा (पूर्वी पासा) भूमि रास्ता आम के रूप में स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी रास्ते में आई भूमि के बदले मे अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को अप्रार्थीगण की भूमि के किला नं. 3 के चिपते प्रार्थी अपने किला नं. 4 में से पश्चिम दिशा में 4 बिस्वा भूमि देगा। तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर को निर्देश दिये जाते है कि उक्त रास्ते में आदेशानुसार पारित होने वाली भूमि की भली भांति पैमाईश की जाकर उक्त आदेशानुसार रास्ते की भूमि का मौके पर चिन्हीकरण करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदराम करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 07.11.2019 मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

07/11/19

(प्रियंका तलानिया)
प्रियंका तलानिया (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर
श्री विजयनगर

न्यायालय उपखण्डाधिकारी श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2019.11.22 14:23:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: